

पत्रांक:-14 / वि०को० / वि०स०महा० / 04 / 2021 (अंश)

बिहार सरकार

उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग

प्रेषक:—

प्रो० (डॉ०) रेखा कुमारी,  
निदेशक, उच्च शिक्षा

रोवा में,

कुलसचिव,  
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।  
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।  
बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।  
तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।  
के०एस०डी० संस्कृत वि श्वविद्यालय, दरभंगा।

पटना, दिनांक ..... / ..... / 2024

विषय:— वित्त राहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात् संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता/अनुदान दिये जाने के नीतिगत निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपबंधित राशि कुल रु० 249.76 करोड़ (दो सौ उनचास करोड़ छिहत्तर लाख) मात्र में से मगध विश्वविद्यालय, बोधगया/वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा/बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर /तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर एवं के०एस०डी० संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के लिए कुल 207,49,91,100/- (दो सौ सात करोड़ उनचास लाख इक्यानबे हजार एक सौ रुपये) मात्र का सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने वित्त राहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात् संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत उपबंधित राशि कुल रु० 249.76 करोड़ (दो सौ उनचास करोड़ छिहत्तर लाख) मात्र में से मगध विश्वविद्यालय, बोधगया/वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा/बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर /तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर एवं के०एस०डी० संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या—205 दिनांक 16.12.2024 द्वारा कुल 207,49,91,100/- (दो सौ सात करोड़ उनचास लाख इक्यानबे हजार एक सौ रुपये) मात्र का सहायक अनुदान पाँच विश्वविद्यालयों को विमुक्ति किया गया है।

02. राज्य सरकार ने संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों को विभागीय संकल्प संख्या—1846 दिनांक 21.11.2008 के आलोक में सहायता अनुदान देने का निर्णय लिया है। अनुदान के स्वरूप का मूल सिद्धांत प्रति सफल विद्यार्थी भुगतान आधारित होगा। राज्य सरकार द्वारा वित्त राहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का उपयोग महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर किया जायगा। किसी भी परिस्थिति में इसका विचलन नहीं किया जाएगा।

03. डिग्री महाविद्यालयों को अनुमान्य अनुदानित राशि के अन्तर्गत अधिकतम 1.50 (एक करोड़ पचास लाख) रु० तथा इन डिग्री महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना/महाविद्यालय का संबंधन/निर्धारित सीट के अनुसार नामांकन एवं विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के विभाग द्वारा जांचोपरान्त अनुमान्य राशि की अवशेष राशि विमुक्त करने पर निर्णय लिया जायेगा।

04. उपबंधित राशि 249.76 करोड़ (दो सौ उनचास करोड़ छिहत्तर लाख) में से स्वीकृत राशि 207,49,91,100/- (दो सौ सात करोड़ उनचास लाख इक्यानबे हजार एक सौ रुपये) मात्र राज्य के पांच विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के लिए शैक्षणिक सत्र 2014–17 एवं कतिपय महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2009–12 से 2014–17 तक की अनुदान राशि संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय के शासी निकाय/प्रबंधन समिति को निम्न विवरणी के अनुसार उपलब्ध करायी जायगी:—

क्र०	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र	अनुदान विमुक्त करने हेतु महावि. की संख्या	प्रथम किस्त में विमुक्त की जाने वाली राशि (रु० में)	शेष राशि
1.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।	2014–17	53	67,87,79,220/-	26,34,18,000/-
		2009–12 से 2014–17	06	44,47,04,100/-	11,50,77,000/-
		2011–14 से 2014–17	02	8,34,23,280/-	5,02,82,700/-
		कुल राशि	120,69,06,600/-		42,87,77,700/-

क्र०	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र	अनुदान विमुक्त करने हेतु महावि. की संख्या	प्रथम किस्त में विमुक्त की जाने वाली राशि (₹० में)।	शेष राशि
2.	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।	2014–17	31	40,73,24,700/-	7,41,32,100/-
			कुल राशि	40,73,24,700/-	7,41,32,100/-

क्र०	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र	अनुदान विमुक्त करने हेतु महावि. की संख्या	प्रथम किस्त में विमुक्त की जाने वाली राशि (₹० में)।	शेष राशि
3.	बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।	2014–17	16	22,87,78,500/-	10,85,51,400/-
			कुल राशि	22,87,78,500/-	10,85,51,400/-

क्र०	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र	अनुदान विमुक्त करने हेतु महावि. की संख्या	प्रथम किस्त में विमुक्त की जाने वाली राशि (₹० में)	शेष राशि
4.	तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।	2014–17	21	22,35,96,000/-	3,12,81,600/-
			कुल राशि	22,35,96,000/-	3,12,81,600/-

क्र०	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र	अनुदान विमुक्त करने हेतु महावि. की संख्या	प्रथम किस्त में विमुक्त की जाने वाली राशि (रु० में)	शेष राशि
5.	के०एस०डी० संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।	2014–17 2011–14 से 2014–17 तक	04 03	19,74,000 /– 64,11,300 /–	X X
			कुल राशि	83,85,300 /–	X

उपर्युक्त कंडिकाओं के अनुसार विश्वविद्यालयवार विमुक्त की जाने वाली कुल राशि का विवरण निम्नवत् हैः—

क्र० सं०	विश्वविद्यालय का नाम	विमुक्त की जाने वाली राशि (रु० में)
1.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।	120,69,06,600 /–
2.	वीर कुवंर सिंह विश्वविद्यायल, आरा।	40,73,24,700 /–
3.	बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।	22,87,78,500 /–
4.	तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।	22,35,96,000 /–
5.	के०एस०डी० संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।	83,85,300 /–

कुल विमुक्त की जाने वाली राशि—207,49,91,100 /–(दो सौ सात करोड़ उनचास लाख इक्यानबे हजार एक सौ) रु० मात्र

05. विश्वविद्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ महाविद्यालयों को अनुदान राशि विमुक्त करने के पूर्व निम्न शर्तों/बंधेजों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

- (i) सर्वप्रथम सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा अनुदान की राशि महाविद्यालयों को विमुक्त किये जाने के पूर्व विभागीय संकल्प संख्या—1846 दिनांक 21.11.2008 में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने के साथ—साथ यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि जिन शैक्षणिक सत्रों के लिये अनुदान राशि विमुक्त की जा रही है, महाविद्यालय का

संबंधन उन सत्रों/विषयों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त हो। संबद्धता प्राप्त अवधि/संबद्धता प्राप्त विषय की सत्रवार जांच विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने एवं विश्वविद्यालय द्वारा संतुष्ट होने के उपरांत ही मापदण्ड पूर्ण करने वाले संबंधित महाविद्यालय को रथापित प्रक्रियानुसार अनुदान राशि विमुक्त किया जायेगा। सभी संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में विधिवत् रूप से शासी निकाय गठित हो। शासी निकाय के गठन में अगर किसी प्रकार का विवाद हो तो उसका निराकरण विश्वविद्यालय को ही करना है। विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय को महाविद्यालय की तदर्थ समिति गठित करने की शक्ति भी प्राप्त है। उक्त विधिवत् गठित शासी निकाय /तदर्थ समिति के माध्यम से ही राशि वितरित होगी।

- (ii) यदि किसी महाविद्यालय से संबंधित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय /माननीय उच्च न्यायालय/माननीय लोकायुक्त/सिविल कोर्ट/विभाग अथवा अन्य कोई संवैधानिक संस्था/सक्षम प्राधिकार द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय को अनुदान विमुक्त करने के पूर्व पारित आदेश के पूर्ण अनुपालन की सारी जिम्मेवारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी।
- (iii) महाविद्यालय के आंतरिक स्त्रोत से प्राप्त 70 प्रतिशत राशि एवं राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान राशि को मिलाकर राशि का वितरण महाविद्यालय के शासी निकाय/प्रबंध समिति द्वारा शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के विभिन्न कोटि के विधिवत् रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन/वेतनमान के अनुसार समानुपातिक रूप से किया जाएगा।
- (iv) उपयोगिता प्रमाण पत्र:- राज्य सरकार द्वारा संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को विमुक्त किये जा रहे अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने के एक माह के अन्दर विभागीय प्रपत्र में संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा संतुष्ट होने के उपरांत उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही आगे की राशि विमुक्त करने पर विचार किया जा सकेगा।
- (v) संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के प्रबंधन द्वारा अनुदानित राशि का अंकेक्षण पंजीकृत अंकेक्षक/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अनिवार्य रूप से कराया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा। अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ महाविद्यालय को घोषणा पत्र भी संलग्न करना

होगा जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित होगा कि—“.....(महाविद्यालय का नाम) द्वारा विभाग से प्राप्त वर्णित कुल अनुदान की राशि एवं महाविद्यालय के आंतरिक स्त्रोत की कुल राशि का 70% मिलाकर पूरी राशि शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन पर व्यय किया गया है।” यह घोषणा पत्र महाविद्यालय के प्राचार्य, सचिव एवं अध्यक्ष द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षरित होगा।

- (vi) राशि का वितरण महाविद्यालय के शासी निकाय/प्रबंध समिति द्वारा वेतन/वेतनमान के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जायेगा। सभी संबद्ध डिग्री महाविद्यालय अपना—अपना वेबसाइट निश्चित रूप से बनाएंगे एवं महाविद्यालय विधिवत रूप से कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी तथा वेतनादि वितरण की स्पष्ट विवरणी उक्त वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा इसका अनुश्रवण किया जायेगा।
- (Vii) विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को पूर्व में विमुक्त किये गये अनुदान राशि का सम्पूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र/अंकेक्षण प्रतिवेदन (निबंधित चार्टड एकाउटेन्ट द्वारा) महाविद्यालय से प्राप्त कर समीक्षोपरान्त संतोषप्रद पाये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि महाविद्यालय को विमुक्त की जायेगी।
- (Viii) अनुदान की राशि का भुगतान करने हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम—2017 की धारा—57 (क) में वर्णित प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा तथा इन कर्मियों को वेतन का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से विधिवत नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को आधार से लिंक खाते में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जायगा। इसके लिये महाविद्यालय द्वारा “संबद्ध महाविद्यालयों का अनुदान” नामक अलग खाते में राशि रखी जायेगी एवं इस राशि के लिये अलग से रोकड़ बही का संधारण होगा। अनुदान का उपयोग केवल शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के भुगतान के लिए ही किया जाएगा। भुगतान उन्हीं शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को किया जायेगा, जो विधिवत् रूप से नियुक्त एवं कार्यरत हों।
- (ix) राज्य सरकार से संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट माप—दण्ड के अनुसार हीं होना चाहिए।
- (x) विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय के सारणीयन पंजी (T.R) के अनुसार उत्तीर्ण

छात्र/छात्राओं को आधार मान कर राशि का रथूल आकलन किया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों के साथ बैठके की गई है।

गणना के उपरांत अनुलग्नक-1 में महाविद्यालयवार राशि कर्णाकिंत की गयी है, तथापि राज्यपाल सचिवालय के परिनियम-1098 दिनांक 19.04.1986 के कांडिका-16 एवं समय-समय पर विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन हेतु निर्धारित सीटों की संख्या के आलोक में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के आधार पर हीं अनुदान राशि की वास्तविक विमुक्ति महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सीट से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन लिया गया है तो वैरी स्थिति में नामांकन क्रमांक-01 से निर्धारित सीट भरने तक जिन छात्र/छात्राओं का नामांकन हुआ हो, मात्र उनके परीक्षाफल के आधार पर राशि की गणना कर तथा विश्वविद्यालय द्वारा हरेक पहलू/बिन्दु पर संतुष्ट होने के पश्चात ही संबंधित महाविद्यालय को अनुदान राशि विमुक्त की जायेगी। चूँकि इन महाविद्यालय का नियंत्रण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा होता है, इसलिए किसी भी निदेश के उल्लंघन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता की सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय की होगी।

- (xi) यदि महाविद्यालय द्वारा T.R से कम छात्र/छात्राओं के उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान राशि की मांग दर्शायी जाती है तो तदनुसार, अथवा दर्शायी गयी उत्तीर्णता की संख्या T.R में अंकित उत्तीर्णता से ज्यादा होती है तो अधिकतम T.R में अंकित उत्तीर्णता के आधार पर संबंधित शैक्षणिक सत्रों का विश्वविद्यालय के मूल T.R से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का मिलान करने के उपरांत ही अनुदान राशि महाविद्यालयों को विमुक्त की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय के मूल T.R में अंकित उत्तीर्ण विद्यार्थियों से अधिक संख्या का भुगतान नहीं किया जायेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो लेगा।
- (xii) विश्वविद्यालयों द्वारा उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही अनुदान की राशि संबंधित महाविद्यालय को विमुक्त करने की कार्रवाई की जाय। अनुदान राशि 15 दिनों के अन्दर संबंधित महाविद्यालय के खाते में RTGS/NEFT द्वारा स्थानान्तरित करना सुनिश्चित किया जाय।

यह महत्वपूर्ण है कि अनुदान का वितरण किसी भी हालत में उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन कर नहीं किया जाय। अनुदान की राशि के समुचित वितरण की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी।

- 06 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 07 इसके साथ महाविद्यालय द्वारा शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के खाते में किए गए भुगतान का प्रिंट आउट भी सत्यापित कर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बिना अगला अनुदान विमुक्त नहीं किया जा सकेगा।
08. भारत के अंकेक्षण एवं लेखा महापरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण विभाग (वित्त) को यह अधिकार होगा की वे इस लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिये सम्पूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(रेखा कुमारी)

निदेशक, उच्च शिक्षा

ज्ञापांक:-14 / वि०को० / वि०स०महा० / 04 / 2021 (अंश) 1841 पटना, दिनांक 26/12/2024

प्रतिलिपि:- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/निदेशक, उच्च शिक्षा के निजी सहायक/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—05, 14 एवं 15/संबंधित उप निदेशक, उच्च शिक्षा तथा आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.12.24

निदेशक, उच्च शिक्षा



Letter no./पत्रांक G/C/84/२०२३-C/१७४- १७३ Dated/दिनांक १६/०२/२०२४

सेवा मे,

सचिव/प्रभारी प्राचार्य  
सभी अनुदानित सम्बद्ध डिग्री महाविद्यालय  
तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

विषय: सत्र 2013–16 के अनुदान वितरण के संबंध में।

महाशय/महाशया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि आपके महाविद्यालय को सत्र 2013–16 के परीक्षाफल आधारित अनुदान की राशि निम्नांकित शर्तों के साथ विमुक्त की जा रही है :—

1. राज्यादेश के पत्रांक— 14/विंको०/विंस०महा०/०४/२०२१(अंश)–५६३ पटना, दिनांक ०५.०४.२०२३ (प्रति संलग्न) में अंकित सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संबंधित शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों के बैंक खाता में भुगतान किया जाय।
2. अनुदान वितरण कर 15 दिनों के अंदर विश्वविद्यालय प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण—पत्र जमा किया जाय।
3. अनुदान वितरण में राज्यादेश के पत्रांक— 14/विंको०/विंस०महा०/०४/२०२१(अंश)–५६३ पटना, दिनांक ०५.०४.२०२३ के किसी शर्तों का अगर अनुपालन नहीं किया गया तो संपूर्ण जिम्मेवारी सचिव/प्रभारी प्राचार्य की होगी एवं नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

विश्वस्त

*कुलसचिव*  
*संचय मिस्टर*  
*16/02/24*

पत्रांक:-14 / विंको० / विंस०महा० / ०४ / २०२१ (अंश)  
बिहार सरकार  
उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग

प्रेषकः—

प्र०० (डॉ०) रेखा कुमारी,  
निदेशक, उच्च शिक्षा

सेवा में,

कुलसचिव,  
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।  
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।  
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।  
बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।  
बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।  
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।  
के०एस०डी० संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।  
जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

पटना, दिनांक ..... / ..... / 2023

विषयः— वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात् संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता/अनुदान दिये जाने के नीतिगत निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपबंधित राशि कुल रु० 249.76 करोड़ (दो सौ उनचास करोड़ छिहत्तर लाख) रु० मात्र में शेष राशि 240,39,77,500/- (दो सौ चालीस करोड़ उनचालीस लाख सतहत्तर हजार पांच सौ) रु० मात्र से 230,72,12,700/- (दो सौ तीस करोड़ बहत्तर लाख बारह हजार सात सौ) रु० मात्र का सहायक अनुदान का व्यय एवं विमुक्ति के पश्चात् अनुदान वितरण हेतु दिशा-निर्देश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात् संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत उबंधित राशि कुल रु० 249.76 करोड़ (दो सौ उनचास करोड़ छिहत्तर लाख) रु० मात्र में शेष राशि 240,39,77,500/- (दो सौ चालीस करोड़ उनचालीस लाख सतहत्तर हजार पांच सौ) रु० मात्र से विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या—258 दिनांक 23.03.2023 के द्वारा कुल रु० 230,72,12,700/- (दो सौ तीस करोड़

बहतर लाख बारह हजार सात सौ) रु० मात्र का सहायक अनुदान परंपरागत आठ विश्वविद्यालयों को विमुक्त किया गया है।

02. राज्य सरकार ने संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों को विभागीय संकल्प संख्या—1846 दिनांक 21.11.2008 के आलोक में सहायता अनुदान देने का निर्णय लिया है। अनुदान के स्वरूप का मूल सिद्धांत प्रति सफल विद्यार्थी भुगतान आधारित होगा। राज्य सरकार द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का उपयोग महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर किया जायगा। किसी भी परिस्थिति में इसका विचलन नहीं किया जाएगा।

03. डिग्री महाविद्यालयों को अनुमान्य अनुदानित राशि के अन्तर्गत अधिकतम 1.50 (एक करोड़ पचास लाख) रु० तथा इन डिग्री महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना/महाविद्यालय का संबंधन/निर्धारित सीट के अनुसार नामांकन एवं विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के विभाग द्वारा जांचोपरान्त अनुमान्य राशि की अवशेष राशि विमुक्त करने पर निर्णय लिया जायेगा।

04. विमुक्त राशि 230,72,12,700/- (दो सौ तीस करोड़ बहतर लाख बारह हजार सात सौ) रु० मात्र से राज्य के आठ विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के लिए शैक्षणिक सत्र 2013–16 एवं कुछ महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2009–12 से 2013–16 तक की अनुदान राशि संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय के शासी निकाय/प्रबंधन समिति को निम्न विवरणी के अनुसार उपलब्ध करायी जायगी:-

क्र०	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र	अनुदान विमुक्त करने हेतु महावि. की संख्या	प्रथम किस्त में विमुक्त की जाने वाली राशि (रु० में)	शेष राशि।
1.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।	2013–16 2009–12 से 2013–16 तक	48 02 04	55,72,71,300 2,19,59,100 14,13,47,700	11,86,56,300 X 4,31,52,900
			कुल राशि	72,05,78,100	16,39,51,800

क्र०	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र	अनुदान विमुक्त करने हेतु महावि. की संख्या	प्रथम किस्त में विमुक्त की जाने वाली राशि (रु० में)।	शेष राशि।
2.	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।	2013–16	31	41,43,53,700	10,52,11,200
			कुल राशि	41,43,53,700	10,52,11,200
क्र०	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र	अनुदान विमुक्त करने हेतु महावि. की संख्या	प्रथम किस्त में विमुक्त की जाने वाली राशि (रु० में)।	शेष राशि।
3.	बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।	2013–16	16	23,80,23,600	19,48,01,700
			कुल राशि	23,80,23,600	19,48,01,700

क्र०	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र	अनुदान विमुक्त करने हेतु महावि. की संख्या	प्रथम किस्त में विमुक्त की जाने वाली राशि (रु० में)।	शेष राशि।
4.	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।	2013–16 2012–15 से 2013–16 तक	25 02	30,27,67,800 90,64,200	20,48,01,600 X
			कुल राशि	31,18,32,000	20,48,01,600

क्र०	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र	अनुदान विमुक्त करने हेतु महावि. की संख्या	प्रथम किस्त में विमुक्त की जाने वाली राशि (रु० में)।	शेष राशि।
5.	बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।	2013–16	35	32,39,76,600	X
			कुल राशि	32,39,76,600	X

क्र०	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र	अनुदान विमुक्त करने हेतु महावि. की संख्या	प्रथम किस्त में विमुक्त की जाने वाली राशि (रु० में)	शेष राशि।
6.	तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।	2013–16 2011–14 से 2013–16 तक	21	21,25,24,200 21,42,600	3,70,82,100 X
			कुल राशि	21,46,66,800	3,70,82,100

क्र०	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र	अनुदान विमुक्त करने हेतु महावि. की संख्या	प्रथम किस्त में विमुक्त की जाने वाली राशि (रु० में)।	शेष राशि।
7.	के०एस०डी० संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।	2013–16	04	26,88,600	X
			कुल राशि	26,88,600	X

क्र०	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र	अनुदान विमुक्त करने हेतु महावि. की संख्या	प्रथम किस्त में विमुक्त की जाने वाली राशि (रु० में)।	शेष राशि।
8.	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।	2008—11	08	8,10,93,300	13,93,98,000
			कुल राशि	8,10,93,300	13,93,98,000

उपर्युक्त कंडिकाओं के अनुसार विश्वविद्यालयवार विमुक्त की जाने वाली कुल राशि का विवरण निम्नवत् हैः—

क्र० सं०	विश्वविद्यालय का नाम	विमुक्त की जाने वाली राशि (रु० में)।
1.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।	72,05,78,100
2.	वीर कुवरं सिंह विश्वविद्यालय, आरा।	41,43,53,700
3.	बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।	23,80,23,600
4.	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।	31,18,32,000
5.	बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।	32,39,76,600
6.	तिलका माङ्डी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।	21,46,66,800
7.	कें०एस०डी० संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।	26,88,600
8.	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।	8,10,93,300

कुल विमुक्त की जाने वाली राशि—230,72,12,700 /—(दो सौ तीस करोड़ बहतर लाख बारह हजार सात सौ) रु० मात्र।

05. विश्वविद्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ महाविद्यालयों को अनुदान राशि विमुक्त करने के पूर्व निम्न शर्तों/बंधेजों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा:-  
(i) सर्वप्रथम सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा अनुदान की राशि महाविद्यालयों को विमुक्त किये जाने के पूर्व विभागीय संकल्प संख्या—1846 दिनांक 21.11.

2008 में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने के साथ—साथ यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि जिन शैक्षणिक सत्रों के लिये अनुदान राशि विमुक्त की जा रही है, महाविद्यालय का संबंधन उन सत्रों/विषयों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त हो। संबद्धता प्राप्त अवधि/संबद्धता प्राप्त विषय की सत्रवार जांच विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने एवं विश्वविद्यालय द्वारा संतुष्ट होने के उपरांत ही मापदण्ड पूर्ण करने वाले संबंधित महाविद्यालय को स्थापित प्रक्रियानुसार अनुदान राशि विमुक्त किया जायेगा।

सभी संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में विधिवत् रूप से शासी निकाय गठित हो। शासी निकाय के गठन में अगर किसी प्रकार का विवाद हो तो उसका निराकरण विश्वविद्यालय को ही करना है। विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय को महाविद्यालय की तदर्थ समिति गठित करने की शक्ति भी प्राप्त है। उक्त विधिवत् गठित शासी निकाय/तदर्थ समिति के माध्यम से ही राशि वितरित होगी।

- (ii) यदि किसी महाविद्यालय से संबंधित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय /माननीय उच्च न्यायालय/माननीय लोकायुक्त/सिविल कोर्ट/विभाग अथवा अन्य कोई संकैधानिक संस्था/सक्षम प्राधिकार द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय को अनुदान विमुक्त करने के पूर्व पारित आदेश के पूर्ण अनुपालन की सारी जिम्मेवारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी। साथ ही उच्च शिक्षा निदेशालय में विभिन्न रस्तर से प्राप्त वाद/अभ्यावेदन जो विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे जाते रहे हैं तथा वैसे वाद जो जिला अपीलीय प्राधिकार/राज्य अपीलीय प्राधिकार में लंबित है, की भी समीक्षा कर ली जाय।
- (iii) महाविद्यालय के आंतरिक स्त्रोत से प्राप्त 70 प्रतिशत राशि एवं राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान राशि को मिलाकर राशि का वितरण महाविद्यालय के शासी निकाय/प्रबंध समिति द्वारा शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के विभिन्न कोटि के विधिवत् रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन/वेतनमान के अनुसार समानुपातिक रूप से किया जाएगा।
- (iv) उपयोगिता प्रमाण पत्रः— राज्य सरकार द्वारा संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को विमुक्त किये जा रहे अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने के एक माह के अन्दर विभागीय

प्रपत्र में संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा संतुष्ट होने के उपरांत उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही आगे की राशि विमुक्त करने पर विचार किया जा सकेगा।

- (v) संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के प्रबंधन द्वारा अनुदानित राशि का अंकेक्षण पंजीकृत अंकेक्षक/चार्टड एकाउन्टेन्ट से अनिवार्य रूप से कराया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा। अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ महाविद्यालय को घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित होगा कि—“.....(महाविद्यालय का नाम) द्वारा विभाग से प्राप्त वर्णित कुल अनुदान की राशि एवं महाविद्यालय के आंतरिक स्त्रोत की कुल राशि का 70% मिलाकर पूरी राशि शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन पर व्यय किया गया है।” यह घोषणा पत्र महाविद्यालय के प्राचार्य, सचिव एवं अध्यक्ष द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षरित होगा।
- (vi) राशि का वितरण महाविद्यालय के शासी निकाय/प्रबंध समिति द्वारा वेतन/वेतनमान के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जायेगा। सभी संबद्ध डिग्री महाविद्यालय अपना—अपना वेबसाइट निश्चित रूप से बनाएंगे एवं महाविद्यालय विधिवत रूप से कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी तथा वेतनादि वितरण की स्पष्ट विवरणी उक्त वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा इसका अनुश्रवण किया जायेगा।
- (Vii) विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को पूर्व में विमुक्त किये गये अनुदान राशि का सम्पूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र/अंकेक्षण प्रतिवेदन (निबंधित चार्टड एकाउटेन्ट द्वारा) महाविद्यालय से प्राप्त कर समीक्षोपरान्त संतोषप्रद पाये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि महाविद्यालय को विमुक्त की जायेगी।
- (Viii) अनुदान की राशि का भुगतान करने हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम—2017 की धारा—57 (क) में वर्णित प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा तथा इन कर्मियों को वेतन का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से विधिवत नियुक्त शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को आधार से लिंक खाते में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जायगा। इसके लिये महाविद्यालय द्वारा “संबद्ध महाविद्यालयों का अनुदान” नामक अलग खाते में राशि रखी जायेगी एवं इस राशि के लिये अलग से रोकड़ बही का

संधारण होगा। अनुदान का उपयोग केवल शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के भुगतान के लिए ही किया जाएगा। भुगतान उन्हीं शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को किया जायेगा, जो विधिवत् रूप से नियुक्त एवं कार्यरत हों।

- (ix) राज्य सरकार से संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट माप-दण्ड के अनुसार हीं होना चाहिए।
- (x) विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय के सारणीयन पंजी (T.R) के अनुसार उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को आधार मान कर राशि का स्थूल आकलन किया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों के साथ बैठके की गई है।

गणना के उपरांत अनुलग्नक-1 में महाविद्यालयवार राशि कर्णाकिंत की गयी है, तथापि राज्यपाल सचिवालय के परिनियम-1098 दिनांक 19.04.1986 के कंडिका-16 एवं समय-समय पर विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन हेतु निर्धारित सीटों की संख्या के आलोक में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के आधार पर हीं अनुदान राशि की वास्तविक विमुक्ति महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सीट से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन लिया गया है तो वैसी स्थिति में नामांकन क्रमांक-01 से निर्धारित सीट भरने तक जिन छात्र/छात्राओं का नामांकन हुआ हो, मात्र उनके परीक्षाफल के आधार पर राशि की गणना कर तथा विश्वविद्यालय द्वारा हरेक पहलू/बिन्दु पर संतुष्ट होने के पश्चात ही संबंधित महाविद्यालय को अनुदान राशि विमुक्त की जायेगी। चूँकि इन महाविद्यालय का नियंत्रण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा होता है, इसलिए किसी भी निदेश के उल्लंघन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता की सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय की होगी।

- (xi) यदि महाविद्यालय द्वारा T.R से कम छात्र/छात्राओं के उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान राशि की मांग दर्शायी जाती है तो तदनुसार, अथवा दर्शायी गयी उत्तीर्णता की संख्या T.R में अंकित उत्तीर्णता से ज्यादा होती है तो अधिकतम T.R में अंकित उत्तीर्णता के आधार पर संबंधित शैक्षणिक सत्रों का विश्वविद्यालय के मूल T.R से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का मिलान करने के उपरांत ही अनुदान राशि महाविद्यालयों को विमुक्त की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय के मूल T.R में अंकित उत्तीर्ण

- विद्यार्थियों से अधिक संख्या का भुगतान नहीं किया जायेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो लेगा।
- (xii) विश्वविद्यालयों द्वारा उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही अनुदान की राशि संबंधित महाविद्यालय को विमुक्त करने की कार्रवाई की जाय। अनुदान राशि 15 दिनों के अन्दर संबंधित महाविद्यालय के खाते में RTGS/NEFT द्वारा स्थानान्तरित करना सुनिश्चित किया जाय। यह महत्वपूर्ण है कि अनुदान का वितरण किसी भी हालत में उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन कर नहीं किया जाय। अनुदान की राशि के समुचित वितरण की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी।
- 05 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 06 इसके साथ महाविद्यालय द्वारा शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के खाते में किए गए भुगतान का प्रिंट आउट भी सत्यापित कर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बिना अगला अनुदान विमुक्त नहीं किया जा सकेगा।
07. भारत के अंकेक्षण एवं लेखा महापरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण विभाग (वित्त) को यह अधिकार होगा की वे इस लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिये सम्पूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(रेखा कुमारी)

निदेशक, उच्च शिक्षा

ज्ञापांक:-14 / वि०को० / वि०स०महा० / 04 / 2021 (अंश)-५६३ पटना, दिनांक ...०५... / ०४... / 2023  
 प्रतिलिपि:- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आय-व्यय पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-05, 14 एवं 15/प्रभारी वित्त रहित कोषांग आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*RM  
03.04.23.*  
निदेशक, उच्च शिक्षा

*Q*

अनुलग्नक-1

माध्य विश्वविद्यालय, बोध गया के अन्तर्गत संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2013-2016 के लिये (उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं के आधार पर) महाविद्यालयवार को दी जाने वाली प्रस्तावित राशि:-

क्र० नं०	महाविद्यालय का नाम	पिंडियों में स्थानांतर मूल सारणीयन पंजी से उपरान्त उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं की विवरणी						दोष राशि						शैक्षणिक सत्र के प्रथम वर्ष के कुल राशि			पूर्ण सत्र के लिये गणना के उपरान्त अनुमान्य राशि (कुल राशि X 3)	प्रथम किस्त की राशि	शेष राशि		
		प्रथम श्रेणी			द्विं श्रेणी			प्रथम श्रेणी			द्विं श्रेणी			प्रथम श्रेणी							
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	सैयद नेहाल एहसान कॉलेज, बाढ़, पटना	174	59	75	25	0	0	1479000	513300	600000	205000	0	0	2797300	8391900	8391900	X				
2	एस० क० एस० मी० कॉलेज, फटुहा, पटना	213	162	226	169	0	0	1810500	1409400	1808000	1385800	0	0	6413700	19241100	15000000	4241100				
3	रत्नमी० शाही कॉलेज, पटना	72	61	73	26	0	0	612000	530700	584000	213200	0	0	1939900	5819700	5819700	X				
4	पन्तुलाल सिंह कॉलेज, जरीतखण्ड, मसांदी, पटना।	229	162	273	207	0	0	1946500	1409400	2184000	1697400	0	0	7237300	21711900	15000000	6711900				
5	कामेश्वर प्रसाद तिस्रे कॉलेज, नदया, पटना	03	276	69	229	0	0	25500	2401200	552000	1877800	0	0	4856500	14569500	14569500	X				
6	नानाघ भाविद्यालय, चंडी नालदा	136	130	142	76	0	0	1156000	1131000	1136000	623200	0	0	4046200	12138600	12138600	X				
7	महाबोधी कॉलेज, नालदा	345	280	276	169	0	0	2932500	2436000	2208000	1385800	0	0	8962300	26886900	15000000	11886900				
8	वर्षभान महावीर कॉलेज, पापुरी नालदा	255	156	221	104	0	0	2167500	1357200	1768000	852800	0	0	6145500	18436500	15000000	3436500				
9	पी०एस०एस०कॉलेज, बिहारसरीफ, नालदा।	71	193	61	106	0	0	603500	1679100	488000	869200	0	0	3639800	10919400	10919400	X				
10	झी०एस०ड०ब० कॉलेज बिहारसरीफ, नालदा।	0	135	0	105	0	0	0	1174500	0	861000	0	0	2035500	6106500	6106500	X				
11	कुशवाहा, सोमसी निलोकी सोहसराय, नालदा	341	189	298	123	0	0	2893500	1644300	2384000	1008600	0	0	7935400	23806200	15000000	8806200				

५२

३३८

12	अ०प००४५८० कॉलेज हरनेट, नालंदा।	511	197	268	69	0	0	4343500	1713900	2144000	565800	0	0	8767200	26301600	15000000	11301600
13	समानक कॉलेज , इरलामपुर, नालंदा।	305	257	213	133	0	0	2592500	2235900	1704000	1090600	0	0	7623000	22869000	15000000	7869000
14	कृषक महाविद्यालय, धेक्घा पक्कीवारात, नवादा।	388	246	350	156	0	0	3298000	2140200	2800000	1279200	0	0	9517400	28552200	15000000	13552200
15	एस० कै० एम० कॉलेज, नवादा।	362	152	255	102	0	0	3077000	1322400	2040000	836400	0	0	7275800	21827400	15000000	6827400
16	झ०प००४५८० कॉलेज ओको०, जहानाबाद	123	101	129	95	0	0	1045500	878700	1032600	779000	0	0	3735200	11205600	11205600	x
17	नवेश सिंह यादव कॉलेज गया।	296	163	288	93	0	0	2516000	1418100	2304000	762600	0	0	7000700	21002100	15000000	6002100
18	खण्डी धरणीधर महाविद्यालय, परेया, गया।	137	112	210	68	0	0	1164500	974400	1680000	557600	0	0	4376500	13129500	13129500	x
19	झुरेद्व प्रसाद यादव, ५०प०० कॉलेज महाविद्यालय, गया	291	198	187	102	0	0	2473500	1722600	1496000	836400	0	0	6528500	19585500	15000000	4585500
20	दर्जीराज कॉलेज बर्जीराज, गया।	182	142	207	78	0	0	1547000	1235400	1656000	639600	0	0	5078000	15234000	15000000	234000
21	नहिला महाविद्यालय, दारिसलीराज, नवादा।	0	412	0	250	0	0	0	3584400	0	2050000	0	0	5634400	16903200	15000000	1903200
22	नवादा विधि महाविद्यालय, नवादा।	66	34	159	36	0	0	561000	295800	1272000	295200	0	0	2424000	7272000	7272000	x
23	शाक्य मूर्ति कॉलेज बोध गया।	125	124	117	116	0	0	1062500	1078800	936000	951200	0	0	4028500	12085500	12085500	x
24	महिला महाविद्यालय दाउदनगर, औरंगाबाद।	0	252	0	294	0	0	0	2192400	0	2410800	0	0	4603200	13809600	13809600	x
25	झ०प००४५८० कॉलेज हरनेट, नालंदा।	165	105	230	116	0	0	1402500	913500	1840000	951200	0	0	5107200	15321600	15000000	321600

52  
59

मात्रा विश्लेषण	क्र० सं०	महा
26 ब्रजताला प्रसाद महाविद्यालय, मस्तीडी, पटना।	192	140
27 नालन्दा शोध संस्थान एवं महाविद्यालय बिहारशरीफ, नालंदा।	258	112
28 महादीर कॉलेज, गढ़ा।	192	81
29 सरदार पटेल कॉलेज हिलासा, नालंदा।	270	210
30 द्वारकनाथ कॉलेज, मस्तीडी, पटना।	271	153
31 आर०पी०एस० कॉलेज, पटना।	53	72
32 जहानाबाद कॉलेज, जहानाबाद।	92	70
33 रामेश बी०डी० सिंहा जनता कॉलेज, औरंगाबाद।	09	14
34 श्री कृष्ण महिला कॉलेज, जहानाबाद	0	117
35 लाल सिंह त्यागी ग्रनीष कॉलेज, औरंगाबाद, नालंदा।	226	262
36 सरगणेश दत्त नेमोरियल कॉलेज, बेली, रोड, पटना।	47	25
37 राम लखन सिंह यादव कॉलेज, बिहारशरीफ, नालंदा।	137	48
38 सीता राम साहू कॉलेज, नवादा।	257	53
31 केशव सिंह यादव कॉलेज, वरुण औरंगाबाद।	31	65

नवा	2
-----	---

40	डैं <sup>०</sup> राम राज सिंह नहिला महाविद्यालय चण्डी, नालंदा।	0	157	0	51	0	0	0	1365900	0	418200	0	0	1784100	5352300	5352300	x
41	अनुग्रह नारायण समारक जीतेज, जहानाबाद।	117	104	181	75	0	0	994500	904800	1448000	615000	0	0	3962300	11886900	11886900	x
42	शहीद जगदेव समारक महाविद्यालय कुर्था, अखलल।	158	141	253	94	0	0	1343000	1226700	2024000	770800	0	0	5364500	16093500	15000000	1093500
43	चब्देव प्रसाद दर्मा महाविद्यालय, सिमटि बिहारा, पटना।	96	79	200	105	0	0	816000	687300	1600000	861000	0	0	3964300	11892900	11892900	x
44	ज्योति कुवंश कॉलेज फोतेहुर, पटना।	13	17	44	41	0	0	110500	147900	352000	336200	0	0	946600	2839800	2839800	x
45	राजेश्वर लाल कॉलेज अलीगढ़, नालंदा।	225	147	256	106	0	0	1912500	1278900	2048000	869200	0	0	6108600	18325800	15000000	3325300
46	विष्वनाथ सिंह महाविद्यालय, बाराचट्टी, गया।	71	106	69	52	0	0	603500	922200	552000	426400	0	0	2504100	7512300	7512300	x
47	रामलखन सिंह यादव कॉलेज अनीसाबाद, पटना।	137	48	187	34	0	0	1164500	417600	149600	278800	0	0	3356900	10070700	10070700	x
48	डैं <sup>०</sup> विजय कुमार सिंह महाविद्यालय, रक्कीनांज, ओसाबाद।	49	70	79	91	0	0	416500	609000	632000	746200	0	0	2403700	7211100	7211100	x
												225309200	675927600	557271300	11865300		

कुल राशि—

१२५३०९२००

माध्य विषयविद्यालय, बोध गया के अन्तर्गत संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2009-12 से 2013-2016 तक के लिये (उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के आधार पर) महाविद्यालयपार को दी जाने वाली प्रस्तावित राशि:-

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम	विविह० में संख्याति मूल सारणीयन पंजी से निलान करने के उपरान्त <sup>उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की विवरणी</sup>					शैक्षणिक सत्र के प्रथम वर्ष के कुल राशि	पूर्ण सत्र के तियोगणना के उपरान्त अनुमान्य राशि (कुल राशि X 3)	प्रथम किस्त की प्रथम राशि	शेष राशि	अनुचिता							
		प्रथम श्रेणी	द्विं श्रेणी	तृं श्रेणी	प्रथम श्रेणी	द्विं श्रेणी												
1	परसनाथ कुशवाहा महाविद्यालय, अच्छआ, पालीगंज, पटना।	374	232	183	175	0	3179000	2018400	1464000	1435000	0	8096400	24289200	15000000	9289200	2011-14		
159	205	204	110	0	0	1351500	1783500	1632000	902000	0	0	5669000	17007000	15000000	2007000	2013-16		
2	महाबोधि कॉलेज, बेलागंज, गया।	306	299	150	128	0	0	2601000	2601300	1200000	1049600	0	7451900	22355700	15000000	7355700	2011-14	
3	बी०बी०म०बी०जी० कन्चा महाविद्यालय, पटना।	341	253	161	106	0	2898500	2201100	1288000	869200	0	0	7256800	21770400	15000000	6770400	2012-15	
		151	178	148	126	0	1283500	1548600	1184000	1033200	0	0	5049300	15147900	15000000	147900	2013-16	
		0	41	0	101	0	0	356700	0	828200	0	0	1184900	3554700	3554700	X	2009-12	
		0	109	0	65	0	0	948300	0	533000	0	0	1481300	4443900	4443900	X	2011-14	
		0	124	0	74	0	0	1078800	0	606800	0	0	1685600	5056800	5056800	X	2012-15	
		0	23	0	102	0	0	20100	0	836400	0	0	1036500	3109500	3109500	X	2013-15	
		77	108	122	83	0	654500	939600	976000	680600	0	0	1620200	4860600	4860600	X	2009-12	
4	महाराणा प्रताप कॉलेज बेलसारा, देव, औरंगाबाद।	133	155	158	101	0	1130500	1348500	1264000	828200	0	0	2176700	6530100	6530100	X	2010-13	
		281	287	78	27	0	0	2388500	2496900	624000	221400	0	0	2718300	8154900	8154900	X	2011-14
		216	242	161	109	0	0	1836000	2105400	1288000	893800	0	0	2999200	8997600	8997600	X	2012-15
		73	146	127	115	0	0	620500	1270200	1016000	943000	0	0	2213200	6639600	6639600	X	2013-16
		<b>कुल राशि-</b>					61500200	184500600	141347700	43152900								

अनुलननक-।

निलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर के अन्तर्गत संबद्ध जिंगी महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2013-16 के लिये (जटीण छात्र / छात्राओं के आधार पर) महाविद्यालयवार को दी जाने वाली प्रस्तावित राशि:-

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम	देय राशि						इंसाफिक सत्र के द्वारा दिये गए नाम के उपरात अनुमान्य राशि (कुल राशि X 3)	प्रथम निकात की राशि	शेष राशि	
		प्रथम श्रेणी	द्विं श्रेणी	तृं श्रेणी	प्रथम श्रेणी	द्विं श्रेणी	तृं श्रेणी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सोनेया देवी किशो यादव डिग्री महाविद्यालय, धोरेया, बाका।	79	40	328	138	0	0	671500	348000	2624000	1131600
2	शहीद शर्मा प्रसाद सिंह महाविद्यालय श्रुत्युगांज बैंका।	34	23	166	57	0	0	289000	200100	1328000	795400
3	एल०ट०बी०ज० नानिला महाविद्यालय भागलपुर (भागलपुर)	0	21	0	101	0	0	182700	0	828200	0
4	सी०ट०म० महाविद्यालय बासी, बाका।	18	19	243	157	0	0	155000	165300	1944000	1287400
5	मुरिल्लम नाईनोरिटी कॉलेज, भागलपुर।	219	45	420	153	0	0	1861500	391500	3360000	1254600
6	शारदा कुन्तझुनवाला महिला महाविद्यालय, भागलपुर।	0	70	0	235	0	0	609000	0	1927000	0
7	द्वानारसी लाला सरकर कॉमर्स कॉलेज, नवापिड्या, भागलपुर।	45	28	226	100	0	0	382500	243600	1808000	820000
8	महारेत सिंह महाविद्यालय, भागलपुर।	221	54	505	141	0	0	1878500	469800	4040000	1156200
9	ताड़र महाविद्यालय ताड़र, भागलपुर।	74	50	424	250	0	0	629000	435000	3392000	2050000
10	दी०गन०बी० महाविद्यालय हथियाँ, शेखपुरा।	57	31	213	80	0	0	484500	269700	1704000	656000
11	संजय गांधी स्मारक महिला महाविद्यालय, शेखपुरा।	0	46	0	154	0	0	40200	0	1262800	0

५ अक्टूबर

12	गढीरामपुर, मूरेर।	बद्धनारायण कॉलेज	116	82	354	192	0	0	986000	713400	2832000	1574400	0	0	6105800	18317400	15000000	33117400
13	इटनेशनल कॉलेज लखीसराय।	घोरेद,	60	49	481	345	0	0	510000	426300	3848000	2829000	0	0	7613300	2283900	15000000	7839900
14	महाविद्यालय, लखीसराय।	बड़हिया,	0	29	0	180	५	0	0	252300	0	1476000	0	0	1728300	5184900	5184900	x
15	दिखनाथ मूरेर।	सिंह विद्यि संशान,	08	03	55	10	0	0	68000	26100	440000	82000	0	0	616100	1848300	1848300	x
16	दिपनारायण राजनान बांका।	सिंह कॉलेज मैंझा,	93	30	409	177	0	0	790500	261000	3272000	1451400	0	0	5774900	17324700	15000000	2324700
17	शेखुरा।	सिंह कॉलेज मैंझा,	55	27	503	271	0	0	467500	234900	4024000	2222200	0	0	6948600	20845800	15000000	5845800
18	निर्मी सदा महाविद्यालय, अतोती।	सिंह कॉलेज लाल कॉलेज,	08	06	126	53	0	0	68000	52200	1008000	434600	0	0	1562800	4688400	4688400	x
19	राजनेश्वर लखीसराय।	सिंह महाविद्यालय, जमुई।	56	63	123	206	0	0	476000	548100	984000	1689200	0	0	3697300	11091900	11091900	x
20	धननराज एकेडमी।	सिंह महाविद्यालय,	31	14	292	97	0	0	263500	121800	2336000	795400	0	0	3516700	10550100	10550100	x
21	ए०केंद्र गोपालन चिंगी कॉलेज	सुलतानांज, भागलपुर।	18	07	173	74	0	0	153000	60900	1384000	606800	0	0	2204700	6614100	6614100	x
												83202100	249606300	212524200	37082100			

तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर के अन्तर्गत सबद्ध डिग्री महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2012-15 के लिए (उतीर्ण आत्र/छात्राओं के आधार पर) महाविद्यालयवार दी जाने वाली प्रस्तावित राशि:-

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम	दिनिं में संधारित मूल सारणीयन पंजी से निलान करने के उपरान्त उतीर्ण छात्र/छात्राओं की विदर्ही						शैक्षणिक सत्र के प्रथम वर्ष के कुल राशि	पूर्ण सात्र के लिये गणना के उपरान्त अनुमत्य राशि (कुल राशि X 3)	पूर्ण सात्र के प्रथम किसर में वित्तव्य की जाने वाली राशि	शैक्षणिक सत्र							
		देख राशि			द्विं श्रेणी													
		प्रथम श्रेणी	द्विं श्रेणी	तृं श्रेणी	प्रथम श्रेणी	द्विं श्रेणी	तृं श्रेणी											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.	ए०के० गोपालन डिग्री कॉलेज सुलतानगाज, भागलपुर।	10	5	83	34	0	0	85000	43500	664000	278800	0	0	1071300	<u>3213900</u> <u>-1071300</u> <u>2142600</u>	<u>2142600</u>	X	सत्र 2012-15
<b>कुल राशि:-</b>									1071300	3213900	2142600	X						

टंकण भूल के कारण पूर्व में शैक्षणिक सत्र 2012-15 में क्रमांक 01 पर आकित ए०के० गोपालन डिग्री कॉलेज सुलतानगाज, भागलपुर के लिए 1071300/- (दस लाख एकहनर हजार तीन सौ) रु० मात्र विमुक्त किया गया है जबकि कुल राशि 3213900/- (बीस लाख तेरह हजार नौ सौ) रु० मात्र होना चाहिए। अतः पूर्व में विमुक्त की गयी राशि 1071300 को घटा कर शेष राशि 2142600/- (एकैस लाख बेयातीस हजार छ. सौ) रु० मात्र विमुक्त की जा रही है।

Q ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

अनुलग्नक्र.।

लिलित नारायण मिथिला विधायिकालय, दरभंगा के अन्तर्गत संबद्ध डिप्री महाविद्यालयों को ईकायिक सत्र 2013–2016 के लिये (उत्तीर्ण छात्र /छात्राओं के आधार पर) महाविद्यालयपार को दी जाने वाली प्रस्तावित राशि:-

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम	विवरणों में स्थानीय मूल सारांशीय चाहे भी से मिलान करने के						देश राशि	शैक्षणिक सत्र के पूर्ण राशि के लिये गणना के उपरान्त अनुसार राशि (ज्ञात राशि X 3)	प्रथम किसराज्ञी राशि	शेष राशि	
		प्रथम श्रेणी	द्विं श्रेणी	तृं श्रेणी	प्रथम श्रेणी	द्विं श्रेणी	तृं श्रेणी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	राम चौराज तिहां स्मारक कॉलेज,	522	494	547	375	0	0	4437000	4297800	4376000	3075000	0
2	आर बी एस कॉलेज, तियाई, बेगुसराय	250	314	384	300	0	0	2125000	2731800	3072000	2460000	0
3	एस एस आर सी कॉलेज,	343	268	561	368	0	0	2915500	2331600	4488000	3017600	0
4	मिथिला भाइला कॉलेज, दरभंगा	0	40	0	05	0	0	348000	0	41000	0	0
5	एस आर एस कॉलेज अगंठनुर, दरभंगा	44	79	259	122	0	0	374000	687300	2072000	1000400	0
6	शाशि हुआ कॉलेज, थिया रोसड़ा, समस्तीपुर	98	269	400	296	0	0	833000	2340300	3200000	2427200	0
7	विधि महाविद्यालय समस्तीपुर	0	0	145	51	0	0	0	1160000	418200	0	0
8	महात्मा नानी कॉलेज, दरभंगा	128	76	248	121	0	0	1088000	661200	1984000	992200	0
9	शुक्रदेव महतो जनता कॉलेज, खाजोड़ीह, मधुबनी	211	218	495	237	0	0	1793500	1896600	3960000	1943400	0
10	नामोद्र झा भाइला कॉलेज, लहोरियासराय, दरभंगा	0	222	0	311	0	0	1931400	0	2550200	0	0
11	फूलदेवी कॉलेज झा महाविद्यालय, अध्यात्मी, मधुबनी।	118	99	347	305	0	0	1003000	861300	2776000	2501000	0
12	शिवदंन नंदिकाशोर मिश्र महां, भेषवथान, मधुबनी	88	58	174	63	07	0	748000	504600	1392000	516600	52500
									3213700	9641100	9641100	0

13	रामवल्लभ जालान वेला महाविद्यालय, वेला, दसगां।	125	113	362	248	0	0	1062500	983100	2896000	2033600	0	0	6975200	20925600	15000000	5925600
14	वहेडा महाविद्यालय, वहेडा।	532	71	23	265	78	0	4522000	617700	184000	2173000	585000	0	8081700	24245100	15000000	9245100
15	लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय, दरभंगा।	130	79	296	131	0	0	1105000	687500	2368000	1074200	0	0	5234500	15703500	15000000	703500
16	काजी अहमद डिग्री महाविद्यालय, दरभंगा।	79	67	144	87	0	0	671500	582900	1152000	713400	0	0	3119800	9359400	9359400	0
17	देवनारायण यादव कॉलेज, फुकुनी	208	131	556	126	0	0	1768000	1139700	4448000	1033200	0	0	8388900	25166700	15000000	10166700
18	राम कुमारी अरोग्या विधि महाविद्यालय, बुताराय।	01	01	88	25	0	0	8500	8700	704000	205000	0	0	926200	2778600	2778600	0
19	अयशी शिथिता महिला कालेज, वेलीपुर, दरभंगा	0	102	0	275	0	0	0	887400	0	2255000	0	0	3142400	9427200	9427200	0
20	पार्वती लक्ष्मी महिला कॉलेज, झज्जापूर, फुकुनी	0	84	0	228	0	0	0	730800	0	1869600	0	0	2600400	7801200	7801200	0
21	गोकुल कृष्ण कूलेवरी डिग्री, महाविठ कर्मशिक्षा, समस्तीतुर	379	252	520	410	0	0	3221500	2192400	4160000	3362000	0	0	12935900	38807700	15000000	23807700
22	केदार सत रामाकृष्ण कॉलेज, सरायरजन, समस्तीतुर	209	396	591	419	0	0	1776500	3145200	4728000	3435800	0	0	13385500	40156500	15000000	25156500
23	संत कबीर कॉलेज, समस्तीतुर	323	266	519	433	0	0	2745500	2314200	4152000	3550600	0	0	12762300	38285900	15000000	23286900
24	महाराजा महेश ठाकुर कॉलेज, दसगां।	117	81	369	117	04	0	994500	704700	2952000	959400	30000	0	5640600	16921800	15000000	1921800
25	दूटन आ महाविद्यालय, ननोर, फुकुनी।	43	59	148	67	0	0	365500	513300	1184000	549400	0	0	2612200	7836600	7836600	0
														169189800	507569400	302167800	204801600

कुल राशि-

✓

✓

लीलित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के अन्तर्गत सबद्ध डिप्री महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2011-14, 2012-15 एवं 2013-16 के लिये (इतीर्ण छात्र/छात्राओं के आधार पर) महाविद्यालयवार को दी जाने वाली प्रस्तावित राशि:-

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम	विंडिं में संधारित मूल सारणीयन पंजी से मिलान करने के उपरान्त उतीर्ण छात्र/छात्राओं की चिवरणी						शैक्षणिक सत्र के प्रथम वर्ष के कुल सांख्यिकीय कुल सांख्यिकीय कुल सांख्यिकीय	पूर्ण सत्र के लिये गणना के उपरान्त अनुमान्य राशि के उपरान्त अनुमान्य राशि के उपरान्त अनुमान्य राशि	प्रथम किस्त की राशि	शेष राशि	शैक्षणिक सत्र						
		प्रथम श्रेणी			द्विं श्रेणी													
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
सती भरत महाविद्यालय,	14	23	22	12	0	0	119000	200100	176000	98400	0	0	593500	1780500	1780500	X	2012-15	
1 पड़री, दरभंगा।	05	11	34	19	0	0	42500	95700	272000	155800	0	0	566000	1698000	1698000	X	2013-16	
जनता डिग्री कॉलेज, कोर्चु, दरभंगा।	02	05	26	07	0	0	17000	43500	208000	57400	0	0	325900	977700	977700	X	2013-16	
विधि महाविद्यालय, समस्तीपुर।	0	01	192	55	0	0	0	8700	1536000	451000	0	0	1995700	5987100 - 1379100	4608000	X	2011-14	
कुल राशि:-								3481100	9064200	9064200								

टंकण भूत के लकण पूर्व में शैक्षणिक सत्र 2011-14 में क्रमांक 03 पर अंकित चिह्न महाविद्यालय, समस्तीपुर के लिए 1379100/- (तेरह लाख उनासी हजार एक सौ) रु० मात्र होना चाहिए। अतः पूर्व में विभूत की नयी राशि 1379100/- को घटाकर शेष राशि 4608000/- (चियालीस लाख आठ सौ) रु० मात्र विभूत की जा रही है।

महाविद्यालय  
दरभंगा

अनुलग्नका-१

ग्रेट कुवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के अन्तर्गत संबद्ध डिगी महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2013-16 के लिये (इतीर्थ छात्र/छात्राओं के आधार पर) महाविद्यालयवार को दी जाने वाली प्रस्तावित राशि:-

क्र० सं	महाविद्यालय का नाम	विंचिंठ में स्थानित मृत सारणीयन पंजी से मिलान करने के उपरान्त उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की विवरणी						देव राशि						प्रथम क्रिकेट के ऐक्सिकॉर्स राशि के प्रथम वर्ष के गणना के उपरान्त अनुलग्न राशि (कुल राशि X 3)	प्रथम क्रिकेट की राशि	शेष राशि			
		प्रथम श्रेणी			दूसरी श्रेणी			प्रथम श्रेणी			दूसरी श्रेणी								
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	राधा शाता कॉलेज, तिलौलू रोहतास	227	197	141	128	0	0	1929500	1713900	1128000	1049600	0	0	5821000	17463000	15000000	2463000		
2	रुषेश युद्ध महाविद्यालय, रामलाल नारा, भजुआ रोहतास	388	251	182	77	0	0	3298000	2183700	1456000	631400	0	0	7569100	22707300	15000000	7707300		
3	आई-टी-एस-ओ-एम-कॉलेज, विकासांग, रोहतास	0	309	0	192	0	0	0	2688300	0	1574400	0	0	4262700	12788100	12788100	X		
4	रोहतास विश्व महाविद्यालय, सासाराम, रोहतास	77	30	17	03	0	0	654500	261000	136000	24600	0	0	1076100	3228300	3228300	X		
5	अल अफीज कॉलेज, आरा	487	276	271	63	0	0	4139500	2401200	2168000	516600	0	0	9225300	27675900	15000000	12675900		
6	जननायक कृष्ण ठाकुर विश्व महाविद्यालय, बसर	120	41	11	01	0	0	1020000	356700	88000	8200	0	0	1472900	4418700	4418700	X		
7	हरी नारायण चाह भुवनेश्वर जनता कॉलेज, धनसोह, बक्सर	109	113	87	73	0	0	926500	983100	696000	598600	0	0	3204200	9612600	9612600	X		
8	मनोरमा देवी रामरति पटेल विश्व महिला कॉलेज, भजुआ, कैम्पस	0	568	0	137	0	0	0	4941600	0	1123400	0	0	6065000	18195000	15000000	3195000		
9	राजर्जि शालिवहन डिसी कॉलेज, भगवनपुर, कैम्पस	369	123	129	90	0	0	3136500	1070100	1032000	738000	0	0	5976600	17929800	15000000	2929800		
10	महाराणा प्रताप कॉलेज, माहनियाँ, कैम्पस	526	359	232	112	0	0	4471000	3123300	1856000	918400	0	0	10368700	31106100	15000000	16106100		
11	जग जीवन कॉलेज, डेहरी औन सोन, रोहतास	297	184	159	60	0	0	2524500	1600800	1272000	492000	0	0	5889300	17667900	15000000	2667900		
12	जादेव मेमोरियल कॉलेज, सकरी, कुरुक्षेत्र, रोहतास	108	225	149	85	0	0	918000	1957500	1192000	697000	0	0	4764500	14293500	14293500	X		
13	बी एस एस कॉलेज, बरसी, पीरो, भोजपुर	182	226	96	80	0	0	1547000	1966200	768000	656000	0	0	4937200	14811600	14811600	X		
14	जन सहकारी डिगी कॉलेज, बाराम, घरहनी, भोजपुर	136	178	65	35	0	0	1156000	1548600	520000	287000	0	0	3511600	10534800	10534800	X		

५२

15	लोकमान्य दाता गंगाधर तिळक कॉलेज कॉलेज, बस्टर	292	189	126	44	0	0	2482000	1644300	1008000	360800	0	0	5495100	16485300	15000000	1485300
16	शहीद संजय सिंह महिला कॉलेज भन्डारा कैम्पस	0	587	0	134	0	0	0	5106900	0	1098800	0	0	6205700	18617100	15000000	3617100
17	कीर्ति चौधरी कॉलेज, धारापुर, रोहतास	269	60	399	37	0	0	2286500	522000	3192000	303400	0	0	6303900	18911700	15000000	3911700
18	सुमित्रा महिला कॉलेज, डुमरांड, बस्टर	0	540	0	197	0	0	0	4698000	0	1615400	0	0	6313400	18940200	15000000	3940200
19	चौधरी शशि सिंह कॉलेज, राजपुर, रोहतास	289	146	224	45	0	0	2456500	1270200	1792000	369000	0	0	5887700	17663100	15000000	2663100
20	लद्दी नारायण कॉलेज, इन्दौर, रोहतास	127	285	73	59	0	0	1079500	2479500	584000	483800	0	0	4626800	13880400	13880400	x
21	गम विकास सिंह कॉलेज, डालामेयनगर, रोहतास	240	317	136	181	0	0	2040000	2757900	1088000	1484200	0	0	7370100	22110300	15000000	7110300
22	रामपरायण साह सर्वदाव कॉलेज गंगाविद्यालय, रोहतास।	148	253	222	187	0	0	1258000	2201100	1776000	1533400	0	0	6768500	20305500	15000000	5305500
23	आरपांठ देवी सी०डी० राय कॉलेज, नवा, कोयस, रोहतास।	395	333	98	72	0	0	3357500	2897100	784000	590400	0	0	7629000	22887000	15000000	7887000
24	प्रशांत महाविद्यालय, बस्टर।	342	114	196	83	0	0	2907000	991800	1568000	680600	0	0	6147400	18442200	15000000	3442200
25	गिरिश नारायण मिश्र महाविद्यालय, परस्थांग, रोहतास।	475	392	107	65	0	0	4037500	3410400	856000	533000	0	0	8836900	26510700	15000000	11510700
26	ईंध्यर दयाल भगवत प्रसाद सिंह कॉलेज, गढ नोखा, रोहतास	331	138	193	64	0	0	2813500	1200600	1544000	524800	0	0	6082900	18248700	15000000	3248700
27	शी०स० कॉलेज, हट्टा चेनाथी, रोहतास।	284	252	125	62	0	0	2414000	2192400	1000000	508400	0	0	6114800	18344400	15000000	3344400
28	पटेल कॉलेज, धुशिया खुर्ट रोहतास।	287	26	172	11	0	0	2439500	226200	1376000	90200	0	0	4131900	12395700	12395700	x
29	महला गंधी कॉलेज, लहरावाड, पीरो, भोजपुर, आरा।	216	245	57	56	0	0	1836000	2131500	456000	459200	0	0	4882700	14648100	14648100	x
30	विर कॉले सिंह महिला कॉलेज, मेदनपुर, तासरीगांज, रोहतास।	0	184	0	111	0	0	0	1600800	0	910200	0	0	2511000	7533000	7533000	x
31	सत श्री बहना महिला कॉलेज, जगदीश्वर।	0	355	0	79	0	0	0	3088500	0	647800	0	0	3736300	11208900	11208900	x
														173188300	519564900	414335700	105211200

कुल राशि-

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम	पिंडिं में संबोर्द मूल सारणीयन पंजी से मिलान करने के							देय राशि							शैक्षणिक सार्व के प्रथम वर्ष के कुल राशि	पूर्ण रात्र के उपरान्त गणना के उत्तमान्य राशि (कुल राशि X 3)	प्रथम क्रिस्ट राशि	शेष राशि				
		प्रथम श्रेणी			द्विं श्रेणी				तृं श्रेणी			प्रथम श्रेणी											
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	ए०ग्री०प्र० महाविद्यालय, लालगांज, वैशाली	354	408	419	207	0	0	3009000	354' 500	3352000	1697400	0	0	11608000	34824000	15000000	19824000						
2	बाबा भूतनाथ महाविद्यालय, मांगलपुर, प० चंपारण	311	131	440	91	0	0	2643500	139700	520000	746200	0	0	8049400	24148200	15000000	9148200						
3	महेश्वरनाथ महामाया महेला महाविद्यालय, बैतिया, प० चंपारण	0	360	0	396	0	0	0	3 32000	0	3247200	0	0	6379200	19137600	15000000	4137600						
4	जयवहर लाल नेहरु मेमोटियल कॉलेज, नवाहो,	194	319	252	184	0	0	1649000	775300	26	1508800	0	0	7949100	23847300	15000000	8847300						
5	निरसु नारायण महाविद्यालय, सिरड़ा, मझुआ, वैशाली।	345	395	285	203	0	0	2912500	550000	2280000	1664600	0	0	10313600	30940800	15000000	15940800						
6	डॉ जगनाथ निश्च महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।	331	361	455	249	0	0	2813500	3146 100	3640000	2041800	0	0	11636000	34908000	15000000	19908000						
7	अस्थायवट कॉलेज मझुआ, वैशाली।	131	219	71	92	0	0	1113500	1 053 111	68000	754400	0	0	4341200	13023600	13023600	X						
8	रामश्रेष्ठ सिंह महाविद्यालय, चौचहा, मुजफ्फरपुर	187	268	256	183	0	0	1589500	1331600	2048000	1500600	0	0	7469700	22409100	15000000	7409100						
9	प० उगम पांडे महाविद्यालय, मौतीहरी	691	489	846	423	0	0	5873500	300	768000	3468600	0	0	20364400	61093200	15000000	46093200						
10	गीरयन्द्र पटेल सारक कॉलेज, देसरी, वैशाली।	154	214	245	164	0	0	1309000	861800	1600000	1344800	0	0	6475600	19426800	15000000	4426800						
11	श्यामनन्दन सहाय महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।	398	324	403	164	02	0	3383000	81 1000	3224000	1344800	15000	0	10785600	32356800	15000000	17356800						

12	सत्यन्द नारायण स्तह, महाविद्यालय, हाजीपुर, केंद्राली।	306	312	600	268	0	0	2601000	2714400	4800000	2197600	0;	0	0	12313000	36939000	15000000	21939000
13	प्रिया रानी राय डिग्री कॉलेज वैरगनिया, सोतामढ़ी।	138	271	326	150	0	0	1173000			2608000	1230000	0	0	7368700	22106100	15000000	7106100
14	पं० यमुना काजी जयरत्नी महाविद्यालय, खरोना, कराही, मुख्यमंत्रीपुर	177	294	255	177	0	0	1504500	2557800	2040000	1451400	0	0	7553700	22661100	15000000	7661100	
15	गिरीषकृत निश्च हरशंकर पाठक महाविद्यालय, बगहा पा०, चम्पारण।	168	86	312	71	0	0	1428000	748201	2496000	582200	0	0	5254400	15763200	15000000	763200	
16	पं० उमाशक्कर तिवारी महिला महाविद्यालय, बगहा, पा० चम्पारण।	0	363	0	397	0	0	3158100	0	3255400	0	0	6413500	19240500	15000000	4240500		
														144275100	432825300	238023600	194801700	

कृपा, श-

संग्रहीत

अनुलग्नक-1

दीप०एन० मंडल विधायिकालय, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत संबद्ध डिपी महाविधायकों को शैक्षणिक सत्र 2013-16 के लिये (उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं के आधार पर) नेहाविधायकवार को दी जाने वाली प्रस्तावित राशि:-

क्र० सं	महाविधायक का नाम	विठ्ठि० में स्थानित मूल सारांणीन पर्याप्ती से निलान करने के उपरान्त				देय राशि				प्रश्न वर्ष के नुस्खे गणना के लिये गणना के उपरान्त अनुमान्य साझे (कुल राशि X 3)	प्रश्न वर्ष के नुस्खे गणना के लिये गणना के उपरान्त अनुमान्य साझे (कुल राशि X 3)	प्रश्न किस्त की राशि	रेष राशि				
		प्रथम श्रेणी		द्विं श्रेणी		प्रथम श्रेणी		द्विं श्रेणी									
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	सीताराम चमरिया डिपी महाविधायक	41	94	206	111	0	0	348500	817800	1648000	910200	0	0	3724500	11173500	11173500	x
2	मो० इसौन आजाद नेशनल डिपी कॉलेज, तामुरांज, किशनगांज मध्यप्रदेश	53	31	232	149	0	0	450500	269700	1836000	1221800	0	0	3798000	11394000	11394000	x
3	छोटकान मंडल साईंस महाविधायक	51	134	116	60	0	0	433500	1168000	928000	492000	0	0	3019300	9057900	9057900	x
4	नेमुरा महाविधायक	91	71	228	19	0	0	773500	617700	1824000	155800	0	0	3371000	10113000	10113000	x
5	आर्ट्स यहविधायक, बीलाड, जीनपुर	64	152	200	77	0	0	544000	1322400	1600000	631400	0	0	4097800	12293400	12293400	x
6	रघुभन्दन प्रसाद मंडल महाविधायक	43	105	180	94	0	0	365500	913500	1440000	770800	0	0	3489800	10469400	10469400	x
7	कमलेश्वरी दिल्ली महिला महाविधायक	0	243	0	141	0	0	0	2114100	0	1156200	0	0	3270300	9810900	9810900	x
8	उदयनाचार्य विद्याकारा कावि मध्यप्रदेश, करमां, आलमगढ़, मध्यप्रदेश	75	112	153	76	0	0	637500	974400	1224000	623200	0	0	3459100	10377300	10377300	x
9	शिव नन्दन प्रसाद मंडल विधि महाविधायक	05	0	83 :	12	0	0	42500	0	664000	98400	0	0	804900	2414700	2414700	x
10	वनवारी शक्ति महाविधायक, सिमराह, सहरसा	108	123	209	56	0	0	918000	1070100	1672000	459200	0	0	4119300	12357900	12357900	x
11	डिपी शहाविधायक, सुपोत्र	93	67	275	54	0	0	790500	582900	2200000	442800	0	0	4016200	12048600	12048600	x
12	सच्चेद नारायण निहृ भाविता महाविधायक	0	176	0	165	0	0	0	1531200	0	1353000	0	0	2884200	8652600	8652600	x
13	अमृतांत्र यादव महाविधायक, त्रिवेंग, सुपोत्र	102	162	214	84	0	0	867000	1409400	1712000	688800	0	0	4677200	14031600	14031600	x
14	कलावती सतारक महाविधायक, रामीगंज, अरतीया	84	101	244	104	0	0	714000	878700	1952000	852800	0	0	4397500	13192500	13192500	x
15	वीर नारायण चन्द्र महाविधायक, पुरीगंगा	51	174	188	107	0	0	433500	1513800	1504000	877400	0	0	4328700	12986100	12986100	x
16	आरजनकोंकों कॉलेज, पुरीगंगा।	50	77	225	66	0	0	425000	669900	1800000	541200	0	0	3436100	10308300	10308300	x

17	नेशनल डिग्री कॉलेजे, रामबाग, पुणीया।	76	132	148	72	0	0	646000	1148400	1184000	590400	0	0	3568800	10706400	10706400	x
18	आरसोइ० मानिसरी कॉलेज, मरिशो।	75	45	200	113	02	0	637500	391500	1600000	926600	15000	0	3570600	10711800	10711800	x
19	जोग देंदी शीतल साह महिला महाविद्यालय, फारविसगांज, अररिया	0	195	0	180	0	0	0	1696500	0	1476000	0	0	3172500	9517500	9517500	x
20	पीडस कॉलेज, अररिया	40	41	162	47	0	0	340000	356700	1296000	385400	0	0	2378100	7134300	7134300	x
21	बलरामपुर कॉलेज, बलरामपुर। पुणीया।	48	34	165	94	0	0	408000	295800	1320000	770800	0	0	2794600	8383800	8383800	x
22	एस०एस०ड०पी०पी०व०इ० कॉलेज, अलशास मिलिया डिग्री महाविद्यालय,	59	42	143	100	0	0	501500	365400	11444000	820000	0	0	2830900	8492700	8492700	x
23	अलशास मिलिया डिग्री महाविद्यालय, अररिया।	36	42	128	60	0	0	306000	365400	1024000	492000	0	0	2187400	6562200	6562200	x
24	युन०न०चन पांचिंग डिग्री कॉलेज दिलोपनार, रामींगंज (अररिया)	45	64	123	48	0	0	382500	556800	984000	393600	0	0	2316900	6950700	6950700	x
25	रसनकाली साहा महिला महावि० लिशनगांज।	0	88	0	281	0	15	0	765600	0	2304200	0	1E+05	3185300	9555900	9555900	x
26	बजनेहन टाकुर विधि महाविद्यालय, पुणीया।	07	06	24	08	0	0	59500	52200	192000	65600	0	0	369300	1107900	1107900	x
27	मातृती मदीर महाविद्यालय, बरसी, कटिहार।	36	80	114	81	0	0	306000	696000	912000	664200	0	0	2578200	7734600	7734600	x
28	कोतै नारपण डिग्री महाविद्यालय, लक्ष्मीन०प्रस०व०इ० डिग्री कॉलेज,	73	128	112	95	0	0	620500	1113600	896000	779000	0	0	3409100	10227300	10227300	x
29	एस०एस०एस०व०इ० डिग्री कॉलेज, रामबाग, पुणीया।	92	125	210	60	0	0	782000	1087500	1680000	492000	0	0	4041500	12124500	12124500	x
30	सी० क० ए०० ल०० कॉलेज, अररिया।	0	0	150	26	0	0	0	0	1200000	213200	0	0	1413200	4239600	4239600	x
31	स०र्टेव विधि महाविद्यालय, कटिहार।	0	01	179	69	0	0	8700	1432000	565800	0	0	2006500	6019500	6019500	x	
32	वी०डी० कॉलेज बारसोई, कटिहार।	10	08	87	51	0	0	85000	696000	418200	0	0	1268800	3806400	3806400	x	
33	आनंदी जानकी महिला महाविद्यालय बनमध्य, पुणीया।	0	255	0	122	0	0	0	2218500	0	1000400	0	0	3218900	9656700	9656700	x
34	संत अक्ष कैरित नारपण डिग्री कॉलेज कोटिहार, मध्यप्रदेश।	37	80	199	68	0	0	314500	696000	1592000	557600	0	0	3160100	9480300	9480300	x
35	लक्ष्मीन० महाविद्यालय, बनांग॑, सररसा।	78	92	208	61	0	0	663000	800400	1664000	500200	0	0	3627600	10882800	10882800	x
														107992200	323976600	323976600	x

कुल राशि—

**अनुलग्नका-I**

कामेश्वर सिंह दरमांगा संस्कृत विषयालयालय, दरमांगा के अन्तर्भूत संबद्ध हिंदी महाविद्यालयों को राजप्रशिक सत्र 2013-16 के लिये (उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के आधार पर) महाविद्यालयवार को दी जाने वाली प्रस्तावित राशि:-

क्र० सं	महाविद्यालय का नाम	विविं मे संबादित दूल सारणीयन पंजी से मिलान करने के उपरान्त उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की विवरणी					देप राशि					राजप्रशिक सत्र के दूल राशि	पूँ सत्र के उपरान्त गणना के लिये गणना के उपरान्त अनुभाव राशि (दूल राशि X 3)	प्रथम विस्तर की राशि	राश राशि		
		प्रथम श्रेणी	द्विं श्रेणी	तृं श्रेणी	प्रथम श्रेणी	द्विं श्रेणी	तृं श्रेणी	प्रथम श्रेणी	द्विं श्रेणी	तृं श्रेणी	प्रथम श्रेणी						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
प० मदतनालत झा सरस्वत महाविं	कमला उजियारुरु, समर्पितुरु।	14	08	02	06	0	0	119000	69600	16000	49200	0	0	253800	761400	761400	X
श्री महेश वेदही शरण सरस्वत	महाविं नवाचिया, भागलपुर।	12	14	07	06	0	0	102000	121800	56000	49200	0	0	329000	987000	987000	X
द्वे० रामदृष्ण ठाकुर जनता सरस्वत महाविं एकहारे लदनियाँ, मुरुबनी।	05	02	01	01	0	0	42500	17400	8000	8200	0	0	76100	228300	228300	X	
लक्ष्मीराम झा जनता सरस्वत महाविं खजेडी, लडनियाँ, मुरुबनी।	13	08	01	06	0	0	110500	69600	8000	49200	0	0	237300	711900	711900	X	
कुल राशि:-												896200	2688600	2688600	X		

जय प्रकाश निरविद्यालय, छपरा के अन्तर्गत संबद्ध हिंगी महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2008–11 के लिये (उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं के आधार पर) महाविद्यालयदार दी जाने वाली प्रतावित राशि:-

क्र० सं०	महाविद्यालय का नाम	विंशें० में स्थानित मूल यात्रीयन पर्जी से निलान करने के उपरान्त उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं की रीतिवर्णी						देय राशि						शैक्षणिक सत्र के प्रथम वर्ष के कुल राशि राशि (कुल राशि × 3)	पूर्ण सत्र के लिये नगन्ता के उपरान्त अनुमान्य विभूक्त की जने वाली राशि	प्रथम किस्त में शेष राशि		
		प्रथम श्रेणी			द्विं० श्रेणी			तृ० श्रेणी			प्रथम श्रेणी							
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	विशेष दयाल जिन्हा मेमो० महिला महाविद्यालय, छपरा।	0	220	0	277	0	0	0	1914000	0	2271400	0	0	4185400	12556200	12556200	x	
2	दरोगा प्रसाद राय डिग्री कॉलेज, सिवान।	25	94	65	119	01	0	212500	817800	520000	975800	7500	0	2533600	7600800	7600800	x	
3	डॉ० मी०एन० सिंह डिग्री कॉलेज, छपरा।	455	368	484	385	07	03	3867500	3201600	3872000	3157000	52500	23100	14173700	42521100	15000000	27521100	
4	लोक महाविद्यालय, हाजीपुर, बनेचापुर, सारण।	413	486	650	434	05	01	3510500	42228200	5200000	3558800	37500	7700	16542700	49628100	15000000	34628100	
5	श्री महेन्द्र दास डिग्री कॉलेज, मतिया, नेटुआ, जलालपुर, गापालपुर।	430	763	587	482	08	03	3655000	6638100	4696000	3952400	60000	23100	19024600	57073800	15000000	42073800	
6	देवराहा बाबा श्री धर दास डिग्री कॉलेज रामपुर, करदाना, सारण।	455	294	883	390	04	01	3867500	2557800	7064000	3198000	30000	7700	16725000	50175000	15000000	35175000	
7	मजहस्तल हक डिग्री महाविद्यालय, तरवारा, सिवान।	0	0	01	01	0	0	0	0	8000	8200	0	0	16200	48600	48600	x	
8	देवराहा राजेन्द्र प्रसाद महाविद्यालय, जीरादेह, सिवान।	06	15	02	12	0	0	51000	130500	16000	98400	0	0	295900	887700	887700	x	
कुल राशि													73497100	220491300	81093300	139398000		

८५४१